महत्वपूर्ण एवं खास

तलवार लहराता युवक गिरफ्तार, हुई आर्म्स एक्ट की कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस चौकी जुटमिल में पदस्थ उप निरीक्षक थानूराम नायक एवं हमराह स्टाफ द्वारा आज दिनांक 09.12.2019 को हमराह स्टाफ के साथ टाउन पेट्रोलिंग पर सुबह करीब 10.00 बजे जीवन लाल सारथी पिता भुजबल सारथी उम्र 36 बर्ष सा. खोरसिया थाना चंद्रपुर जिला जांजगीर चाम्पा हा.मु. सराईभद्दर को सराईभद्दर बालाजी राईस मिल के पीछे मेन रोड पर आने जाने वाले लोगो को तलवार लहरा कर डरा धमकाते देखे। जिसे पकड़कर चौकी लाया गया। आरोपी के विरूद्ध चौकी जूटमिल में 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है।

जुआ खेलते 5 जुआड़ी पकड़ाये

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस चौकी खरसिया स्टाफ द्वारा दिनांक 08.12.19 को राठौर चौक रायगढ़ रोड़ के पास तास पत्ती से काट पत्ती नामक जुआ खेल रहे 01.भोला राठौर पिता भरत लाल राठौर उम्र 56 वर्ष पुरानी बस्ती खरसिया 2. खिलावन सिंह पिता रतन सिंह ठाकुर उम्र 57 वर्ष न्यु गुरूद्वारा रोड़ खरसिया 03. बलदाउ राठौर पिता छेदीलाल राठौर उम्र 41 वर्ष साकिन तुर्रीभांठा खरसिया 04. अनिल कुमार अग्रवाल पिता सागर मल अग्रवाल उम्र 54 वर्ष साकिन रायगढ रोड़ जगन्नाथ डेंटल के पास खरसिया 05. महेश कुमार राठौर पिता नरसिंह राठौर उम्र 27 वर्ष पुरानी बस्ती खरसिया को रंगे हाथों पकड़े। जुआरियों से जुमला 2230/ रूपये एवं 52 पत्ती तास की गड्डी जप्त किया गया है। आरोपियों के विरूद्ध थाना खरसिया में धारा 13 जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई है।

नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु व्यय प्रेक्षक नियुक्त

» प्रत्याशियों के चुनावी खर्चो पर रखेंगे नजर

न्याय साक्षी/रायगढ़। रायगढ़ जिले में नगरीय निकाय निर्वाचन 2019 हेतु व्यय प्रेक्षकों की नियुक्ति की गई है। नगर पालिक निगम रायगढ़ व नगर पंचायत किरोड़ीमल नगर के लिये सुमंत साय कुरूवंशी संयुक्त संचालक व्यय प्रेक्षक होंगे। लाजरूस मिंज संयुक्त संचालक, नगर पालिका परिषद खरसिया, नगर पंचायत बरमकेला, नगर पंचायत सरिया, नगर पंचायत पुसौर तथा मोहम्मद युनूस संयुक्त संचालक, नगर पंचायत धरमजयगढ़, नगर पंचायत लैलूंगा, नगर पंचायत घरघोड़ा के व्यय प्रेक्षक होंगे।

दपूमरे में सघन टिकट चेकिंग अभियान के दौरान लगभग 1,95,230 रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ

रायपुर (आरएनएस)। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल के वाणिज्य विभाग द्वारा समय-समय पर टिकट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है । जिससे यात्रियों को टिकट लेने के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है, साथ ही यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है कि वे उचित टिकट लेकर सही कोच में बैठे एवं अपनी सुखद यात्रा करें। टिकट चेकिंग अभियान में दिनांक 08 दिसम्बर, 2019 को चलाया गया जिसमें बिना टिकट यात्रा करने वाले लगभग 134 मामलों से 84,565 रूपये राजस्व प्रास हुआ, वही अनियमित टिकट के 188 मामलों से 83,235 रूपये का राजस्व प्रास हुआ, अन बुकड़ लगेज के 272 मामलों से 27,430 रूपये राजस्व प्रास हुआ, कुल 594 मामलों से रायपुर रेल मंडल के वाणिज्य विभाग द्वारा 1,95,230 रूपये का राजस्व प्रास किया गया ,इस टिकट चेकिंग अभियान में 27 टीटीई, 01 मुख्य वाणिज्य निरीक्षक, 01 रेलवे सुरक्षा बल एवं 03 जी.आर.पी. के द्वारा 06 लोकल एवं लगभग 24 एक्सप्रेस ट्रेनों में जांच की गई ।

पौसा देने से मना करने पर दादी की टांगी मारकर हत्या, भतीजा को किया घायल

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना कोतरारोड अन्तर्गत ग्राम कोतरा बरभांठा में दिनांक 08/12/2019 के शाम ग्राम कोटवार के लड़के द्वारा मामूली बात को लेकर दादी की टांगा मारकर हत्या तथा अपने चचेरे भाई पर टांगा से प्राणघातक हमलाकर चोट पहुंचाने की सूचना डॉयल 112 को मिला। सूचना पर डॉयल 112, थाना कोतरारोड़ का स्टाफ ग्राम कोतरा बरभांठा पहुंचा। मौके पर ग्राम कोटवार अमृत दास महंत उम्र 53 साल ने बताया कि सुबह 9-10 बजे गांव में संतसंग का मुनियादी कर मंगल भवन सतसंग सुनने गया था। घर में इसकी मां हेमवती महंत उम्र 80 साल, लड़का विजय उम्र 17 साल (परिवर्तित नाम) और भतीजा बीरू उर्फ केशव दास थे। शाम करीब 4:00 बजे गांव की खोखरहीन मंगल भवन के पास आकर बताई कि तुम्हारे मां हेमवती को तुम्हारा लड़का विजय टंगली मे मार दिया है। तब घर जाकर देखा मां हेमवती घर के सामने आंगन के खाट में चित हालत में मरी पड़ी थी उसके सिर, माथा, कनपटी, जबड़ा के पास गम्भीर चोट था। विजय के बांये हाथ कलाई में चोट था जिसे उसके भाई अनिकेत दास पकड़ा हुआ था। वहीं पर भतीजा केशव दास उर्फ बीरू भी था केशव दास के गर्दन में दो जगह गम्भीर चोट लगा था। पूछताछ में तब अनिकेत दास और केशव उर्फ बीरू इसे बताये कि दादी हेमवती महंत से विजय पैसा मांगा था जो नहीं दी थी। दादी आंगन में खाट पर सोई थी उसी समय विजय ने दादी को हत्या करने के नियत से लोहे के धारदार टांगा (कुल्हाड़ी) से उसके सिर, कनपटी, जबड़ा मे प्राण घातक वार कर मार कर हत्या कर दिया और केशव उर्फ बीरू पर भी सोते अवस्था में टांगा से गर्दन में प्राण घातक वार किया है जो कम्बल ओढ कर सोने के कारण ज्यादा चोट नही लगा है। कोटवार अमृत दास महंत ने बताया कि लड़का विजय का दिमागी हालत 4-5 महिना से ठीक नही है। घटना के रिपोर्ट पर अप.क्र. 338/19 धारा 302, 307 भादवि पंजीबद्ध कर अपचारी बालक को हिरासत में लेकर आज बाल किशोर न्याय बोर्ड पेश किया गया है।

दो स्कूली छात्राओं से गैंगरेप करने वाले सात आरोपी भेजे गए जेल

बलौदाबाजार (आरएनएस)। बलौदाबाजार जिले के सरसींवा थाना क्षेत्र में दो स्कूली छात्राओं के साथ गैंगरेप करने वाले सात आरोपियों को गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मामला 2 दिसंबर का है। इस दिन दोनों छात्राएं लापता हो गई थी जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके परिजनों ने दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने जब छात्राओं की पता लगाना शुरू किया तो दोनों को गिधौरी बस स्टैंड के पास 7 दिसंबर को बरामद किया। इसके बाद छात्राओं ने उनके साथ हुई घटना के बारे में जब पुलिस को बताया तो उसे सुनकर उनके होश उड़ गए। छात्राओं ने बताया कि अपने प्रेमी अनिल खुंटे और अन्य एक नाबालिग ने शादी कर दिल्ली जाकर जिंदगी जीने का प्लान बनाया था। दोनों छात्राएं भी दोनों लड़कों के बहकावे में आ गयी और फिर 2 दिसंबर को स्कूल जाने का बहाना बनाकर घर से भाग कर आरोपियों के पास पहुंची। जिसके बाद आरोपियों ने अपने अन्य पांच साथी जिनमें छबीलाल, दयालाल यादव, नागेश्वर पटेल, प्रदीप कुमार एवं दयाराम रात्रे के साथ मिलकर दोनों छात्राओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया। इस मामले में पुलिस ने सभी 7 आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है।

मोबाईल चोरी के शक मे पति-पत्नी पर टंगिया से जानलेवा हमला, आरोपी गिरफ्तार

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना भूपदेवपुर में दिनांक 08/12/2019 को डिगम्बर राठिया पिता करम सिंह राठिया उम्र 25 साल निवासी कांशीचुआ द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 08/12/2019 दोपहर करीब 02 बजे घर के परछी में खाट पर लेटा हुआ था। इसकी पत्नि टी.व्ही. देख रही थी। उसी समय गांव का रविशंकर उर्फ ऋषि राठिया इसके घर आया और डिगम्बर राठिया को मेरा मोबाइल रख लिये हो कहकर अश्लील गाली गुप्तार कर झगड़ा विवाद करने लगा और घर की परछी में रखे लोहे के टांगी को उठाकर पहले डिगम्बर राठिया की पत्नि चन्द्रिका राठिया के सिर पर मारकर प्राणघातक चोट पहुंचाया। डिगम्बर राठिया बीच बचाव करने लगा तो उसे भी टांगी के पासा से सिर पर मार कर चोंट पहुंचाया। आहत द्वारा घटना की सूचना डॉयल 112 को दिया गया। भूपदेवपुर राइनो डॉयल 112 का स्टाफ मौके पर पहुंचकर आहतों को ईलाज की व्यवस्था कराकर आहत/प्रार्थी को थाने लेकर गया जहां आहत/प्रार्थी डिगम्बर राठिया के रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 199/19 धारा 307, 452, 294 भादवि का अपराध आरोपी रविशंकर उर्फ ऋषि राठिया पिता नंदलाल राठिया उम्र 32 साल निवासी कांशीचुआ के विरूद्ध दर्ज कर भूपदेवपुर पुलिस द्वारा आरोपी को घेराबंदी कर कांशीचुआ से गिरफ्तार किया गया है तथा घटना में प्रयुक्त टांगी आरोपी से जप्त की गई है। आरोपी को आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

आईजीपी महोदय ने रात्रि धान चेकप्वाइंट का किये औचक निरीक्षण

सुबह कन्ट्रोल रूम में जिला पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की लिये संयुक्त बैठक

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज बिलासपुर प्रदीप कुमार गुप्ता (भापुसे) का दिनांक 08.12.2019 की रात्रि मुंबई हावड़ा मेल से जिल में आगमन हुआ। गुप्ता जिले में अवैध धान के परिवहन को रोकने के लिए जिला पुलिस तथा प्रशासनिक टीम द्वारा की जा रही कार्यवाही का जायजा लेने आए थे। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा जिले के औचक दौरे में आए आईजीपी महोदय से रात्रि में भेंटवार्ता किया गया। आईजीपी महोदय द्वारा रात्रि में ही जिले के बॉर्डर में अवैध धान रोकने के लिए बनाए गए चेकप्वाइंट चेक करने जाना बताये जाने पर रात्रि करीब 01:30 बजे आईजी सर के हमराह एसपी रायगढ़, सीएसपी एवं एसडीएम रायगढ़ बॉर्डर चेकप्वाइंट चेक के लिए रवाना हुये। आईजीपी महोदय द्वारा लारा, रेंगालपाली तथा एकताल में बनाए गए चेकप्वाइंट को चेक किए। चेकप्वाइंट में पुलिस जवान के साथ खनिज विभाग तथा वन विभाग का कर्मचारी भी मौजूद मिला जिन्हें आईजीपी महोदय द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। पश्चात आज सुबह 10:30 बजे पुलिस नियंत्रण कक्ष में आईजीपी महोदय द्वारा जिला पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली गई।

बैठक में रेंज आईजी प्रदीप गुप्ता द्वारा अवैध धान परिवहन पर रोक लगाने हेतु तैयार किए गए एजेंडे पर प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा किए। गत दिनों में पुलिस एवं प्रशासनिक टीम द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए है। आईजीपी महोदय दोनों को अपसी समन्वय से कार्य करने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में उन्होंने मोबाइल चेक प्वाइंट भी बनाने के निर्देश दिए हैं जिन्हें बॉर्डर चेकप्वाइंट के अलावा ऐसे मार्गो में लगाने के निर्देश दिए जहां से दिगर प्रांत के धान आने की संभावना है, ताकि किसानों को किसी प्रकार का नुकसान हो।

पुलिस अधिकारियों के साथ हुई बैठक में आईजीपी महोदय द्वारा जिले में लंबित अपराधों की स्थिति की जानकारी लेकर अपराध निकाल तथा नगरी निकाय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराए जाने को लेकर महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक में आईजीपी महोदय द्वारा महिला एवं साइबर संबंधी अपराधों में साक्ष्य संकलन को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा किया गया। उन्होंने महिला एवं साइबर संबंधी अपराधों की मॉनिटरिंग राजपत्रित अधिकारी से करने के निर्देश दिये हुये ऐसे अपराधों में चालान समयसीमा के भीतर न्यायालय पेश करने को कहा गया। बैठक में जिले के सभी पुलिस राजपत्रित अधिकारीगण एवं थाना/चौकी प्रभारी उपस्थित थे। प्रशासनिक अधिकारियों में श्रीमती शिल्पा अग्रवाल पी.आर.सी.एस. (रायगढ़), सुरेंद्र कुमार गौड़ ए.आर.सी.एस. (रायगढ़), आशुतोष कोसरिया पी.एम.ओ. (रायगढ़), जी.पी. राठिया खाद्य अधिकारी (रायगढ़), आर.के. खमबारा ई.ई. पीडब्लूडी (रायगढ़), कौशल साहू एएफओ (फूड एंड सिविल सप्ल.) उपस्थित थे।

पुसौर विकासखण्ड में मतदान दलों को दिया गया प्रशिक्षण

न्याय साक्षी/रायगढ़। नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2019 के सुचारू संचालन के लिये गत दिवस पुसौर विकासखण्ड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुसौर में मतदान दलों और पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनर ने मतदान अधिकारियों को उनके कर्तव्यों और दायित्वों के बारें में बताया। साथ ही मतदान की प्रक्रिया और मतपेटी के सिलिंग, विभिन्न प्रपत्रों को भरने के बारें में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में बताया गया कि पीठासीन अधिकारियों को संबंधित मतदान केन्द्र में नियत तिथि पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराना उनका प्रमुख दायित्व है और पीठासीन अधिकारियों को मतदान संबंधी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।

हावडा-मुम्बई-हावडा मेल के चौथी रैक में एलएचबी कोच की सुविधा

रायपुर (आरएनएस)। रेलवे द्वारा एक्सप्रेस ट्रेनों की अलग-अलग श्रेणियों में होने वाली भींड़ को ध्यान में रखकर यात्रियों के लिये समय-समय पर अतिरिक्त कोचों की व्यवस्था एवं कोचो के प्रकार में संशोधन किया जाता है। इसी प्रकार 12810/12809 हावडा-मुम्बई-हावडा मेल में एलएचबी कोच की सुविधा प्रदान की जा रही है। 12810/12809 हावडा-मुम्बई-हावडा मेल चौथी रैक में एलएचबी कोच की सुविधा हावडा से 10 दिसम्बर, 2019 से एवं मुम्बई से 12 दिसम्बर, 2019 से प्रदान की जायेगी ।

छेड़छाड़ आरोप से पीड़ित युवक ने आत्महत्या की

» आईपीसी की धारा 354 डी में मामला दर्ज करने का

बिलासपुर (आरएनएस)। हैदराबाद और छत्तीसगढ़ में हो रही अनाचार की घटनाओं के बीच बिलासपुर जिले के सीपत क्षेत्र का मामला प्रकाश में आया है जिसमें एक युवक पर 20 वर्षीय विवाहिता द्वारा छेड़खानी का फर्जी आरोप लगाकर उक्त युवक के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया गया। सीपत थाना से मिली जानकारी के अनुसार युवक पर 354 डी के तहत मामला दर्ज करने के उपरांत युवक द्वारा आत्महत्या करने से पूर्व लिखे गए सुसाइड नोट में अपने को निर्दोष बताया गया है। युवक ने अपने सुसाइड नोट में विवाहिता द्वारा उसे जबरिया फंसाने की बात लिखी है साथ ही कहा है कि विवाहिता द्वारा लगाए गए समस्त आरोप गलत हैं।

बिलासपुर सीपत थाना में बीस वर्षीय विवाहिता ने दूर के रिश्तेदार पैंतीस वर्षीय परम वर्मा के विरुद्ध छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कराई। सात तारीख़ को दर्ज एफआईआर में दर्ज कराया गया है कि एफआईआर में घटना पाँच दिसंबर की बताई गई है। आज तड़के रतनपुर थाना क्षेत्रों लगे ग्रामीण क्षेत्र में फँसी पर लटका शव मिला। पुलिस ने शव की जाँच की तो एक पत्र मिला, पहचान हुई कि यह सीपत क्षेत्र के टेकर गाँव का परम वर्मा है। यह वही परम वर्मा था जिसके खिलाफ 354 का मुक़दमा दर्ज किया गया है।

लॉयन्स क्लब रायगढ़ सिटी ने बाटे कम्बल

न्याय साक्षी/रायगढ़। रायगढ़ शहर की ख्यातिप्राप्त समाज सेवा को समर्पित संस्था ने अपने जनहितकारी कार्यक्रम के अंतर्गत लॉयन गोपालदास गुप्ता के नेतृत्व में ग्राम औरदा में वृद्ध व निःशक्त जनो को शीत ऋतु से सुरक्षा हेतु कम्बलों का वितरण किया गया.

ज्ञात हो कि यह कम्बल वितरण का द्वितीय चरण था. जो कि शनिवार साय 4 बजे गाँव के चौपाल में किया गया. इसके पूर्व ग्राम डुमरमुरा में भी क्लब द्वारा कम्बल वितरित किये गये थे. इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित गामीणों के अलावा क्लब के अध्यक्ष ला प्रेम चन्द अग्रवाल, उपाध्यक्ष ला राजेंद्र केड़िया, ला गजानन्द जगतरामका, ला सागर महमिया, स्थानीय समाजसेवी राजा साहब, सुरेन्द्र पंडा आदि उपस्थित थे. क्लब के सचिव व डिस्ट्रिक्ट कोआर्डिनेटर ला शैलेश अग्रवाल ने ग्रामवासियों को अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाने व बीमारियों के निदान हेतु अच्छे चिकित्सको से परामर्श लेने की सलाह दी. उपस्थित सभी जनो ने क्लब के सेवा कार्यो की प्रशंसा की. सभी क्लब सदस्यों का इस कार्यक्रम हेतु सराहनीय योगदान मिला.

अभ्यर्थियों को आचार संहिता का करना होगा पालन-कलेक्टर

» प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी, निर्दलियों को चुनाव चिन्ह आबंटित

न्याय साक्षी/रायगढ़। आज नगरीय निकाय निर्वाचन 2019 के लिये नगर निगम रायगढ़ के प्रत्याशियों की नामांकन वापसी के पश्चात् अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी की गई। निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आबंटन भी किया गया। कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी यशवंत कुमार ने प्रत्याशियों को चुनाव संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होने से लेकर चुनाव परिणाम तक के चुनावी खर्चो का ब्यौरा रखना है। जिसके लिए व्यय रजिस्टर प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने वार्ड के लिये नियुक्त व्यय संपरीक्षक से उक्त रजिस्टर का परीक्षण करवाना होगा। रैली तथा सभा के लिये एस.डी.एम. से पूर्वानुमति लेनी होगी। अनुमति पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी। आदर्श आचार संहिता का पालन सभी प्रत्याशियों को करना है, उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने आगे बताया चुनाव प्रचार का कार्य 19 तारीख की रात 12 बजे तक किया जा सकता है। चुनाव प्रचार में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिये सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा। रात 10 बजे के बाद माइक का उपयोग प्रचार प्रसार में नहीं किया जा सकेगा। किसी भी दशा में शासकीय परिसम्पत्तियों का उपयोग चुनाव प्रचार में नहीं करना है। चुनाव के लिये सभी गतिविधियों व वस्तुओं जैसे नाश्ता, खाना, पंडाल, कुर्सी, माइक इत्यादि की दर निर्धारित की गई है। जिसका अनुपालन अभ्यर्थियों को करना होगा। उक्त खर्चे उम्मीद्वारों के निर्वाचन व्यय में जुड़ेंगे। उन्होंने अभ्यर्थियों को व्यय सीमा की जानकारी भी दी, पार्षदों के लिये निर्वाचन व्यय रायगढ़ नगर निगम के लिये 3 लाख, नगर पालिका के लिये 1.50 लाख व नगर पंचायतों के लिये 50 हजार है। इस अवसर पर निर्वाचन प्रेक्षक अनुराग पाण्डेय, अपर कलेक्टर राजेन्द्र कटारा, अपर कलेक्टर आर.ए.कुरूवंशी, सहायक कलेक्टर संबित मिश्रा, नगर निगम आयुक्त राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, डिप्टी कलेक्टर जे.डी.उर्वशा तथा डिप्टी कलेक्टर श्रीमति नम्रता आनंद डोंगरे सहित निर्वाचन विभाग के कर्मचारी व अभ्यर्थी व जनसामान्य उपस्थित रहें।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480